कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर– जयपुर)

नौगांवा – 301 025, अलवर (राज.)

डॉ. सुमन खंडेलवाल
अधिष्ठाता

ईमेल : dean.coanavgaon@sknau.ac.in मो. न. : +919414774474

क्रमांकः एफ.( )/फार्म स्टोर/कृ.महावि. नौगावां/2025/236 दिनांकः 10.07.2025

सीमित निविदा सूचना

कृषि महाविद्यालय, नौगांवा के प्रशासनिक भवन, छात्रावासों एवं आवासों में पानी आपूर्ति हेतु पाइप आपूर्ति एवं पाइपों को जमीन में गाड़ने हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं/फर्मों से निर्धारित प्रपत्र में दिनांकः 17 जुलाई, 2025 को प्रातः 11:30 बजे तक सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की सभी शर्ते कार्यालय दिवस में निविदा शुल्क रूपये 500/– अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नौगांवा, अलवर के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक या नगद भुगतान कर दिनांकः **17.07.2025 को प्रातः 11:00 बजे तक** प्राप्त किये जा सकते है अथवा www.sknau.ac.in or sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है। पूर्ण रूप से भरे हुये निविदा प्रपत्र **दिनांकः 17.07.2025 को प्रातः 11:30 बजे तक** जमा होंगे। प्राप्त निविदाऐं उसी दिन **दोपहर 12:30 बजे** केन्द्र की निविदा एवं क्रय समिति द्वारा खोली जायेगी। कार्य की अनुमानित लागत रूपये 1,98,000/– है। निविदा को सम्पूर्ण अथवा उसके किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

क्र.स.	आवश्यक सामग्री/कार्य का विवरण	संख्या/मात्रा
1.	पी.वी.सी. कोइल पाइपः 90 मि.मी. व्यास एवं 6 कि.ग्रा. प्रेशर	400 मीटर
2.	पी.वी.सी. कोइल पाइपः 75 मि.मी. व्यास एवं 6 कि.ग्रा. प्रेशर	200 मीटर
3.	पी.वी.सी. कोइल पाइपः 63 मि.मी. व्यास एवं 6 कि.ग्रा. प्रेशर	550 मीटर
4.	कंट्रोल वॉल्वः 90 मि.मी.	01
5.	कंट्रोल वॉल्वः 75 मि.मी.	01
6.	कंट्रोल वॉल्वः 63 मि.मी.	04
7.	फिटिंग एवं अन्य आवश्यक सामग्री	आवश्यकतानुसार
8.	नाली खुदाई एवं भराई का कार्य (2.5 से 3 फीट गहरी)	1150 मीटर

10/07/2025
अधिष्ठाता

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
2. श्रीमान कोषाधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
3. श्रीमान प्रभारी सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर अनुरोध है कि उक्त निविदा सूचना को विश्वविद्यालय पोर्टल www.sknau.ac.in or http://sppp.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित करने का श्रम करावें।
4. समस्त निविदा समिति सदस्य, कृषि महाविद्यालय, नौगांवा, अलवर।
5. सूचना पट्ट कृषि महाविद्यालय/कृषि अनुसंधान केन्द्र/कृषि विज्ञान केन्द्र, नौगावां, पंचायत समिति/तहसील कार्यालय, नौगावां/रामगढ़, ग्राम पंचायत नौगावां, बीजवा एवं मोहम्मदपुर।
6. रक्षित/निविदा पत्रावली।

10/07/2025
अधिष्ठाता

कृषि महाविद्यालय, नौगावां
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

निविदा की शर्तें

1. सफल निविदादाता को दिए गए तकनिकी मापदण्डो के अनुसार आवश्यक सामग्री की आपूर्ति **कृषि महाविद्यालय, नौगांवा (अलवर)–301025 पर आपूर्ति आदेश निर्गत होने के 07 दिन के भीतर** करना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता को आपूर्ति पश्चात सभी उपकरणों की सम्पूर्ण तकनिकी जानकारी तथा उनका संचालन एवं रखरखाव की जानकारी देनी होगी।
3. आपूर्ति किये जाने वाले सभी सामान उच्च गुणवत्ता का होना आवश्यक है।
4. निविदादाता को समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ निविदा को सीलबंद लिफाफे में बंद करके तथा लिफाफे के उपर **"पाइप आपूर्ति एवं पाइपों को जमीन में गाड़ने हेतु निविदा"** लिखकर व अपना पूर्ण विवरण मय नाम एवं पता लिखकर **कृषि महाविद्यालय, नौगांवा** के कार्यालय में **दिनांकः 17.07.2025 को प्रातः 11.30 बजे तक आवश्यक रूप से जमा करना होगा।**
5. अपूर्ण एवं निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले निविदा प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जायेंगा।
6. निविदा में किसी प्रकार की काँट छाँट होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जायेंगी।
7. निविदादाता निविदा तथा शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा निविदा के अंतिम पृष्ठ पर सभी शर्तों को सम्पूर्ण रूप में स्वीकार करने की सहमति देते हुए अलग से हस्ताक्षर करेगा।
8. निविदादाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा। आपूर्ति आदेश के उपरान्त निर्धारित तकनिकी मापदण्डो के अनुसार सामग्री आपूर्ति पश्चात ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
9. किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नौगावां (अलवर) का होगा।
10. दो या दो से अधिक निविदादाताओं के द्वारा दी गई दरों में अगर समानता होती है तो निविदा समिति, कृषि महाविद्यालय, (अलवर) द्वारा किया गया निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।
11. प्राप्त निविदाएं दिनांकः **17.07.2025** को **दोपहर 12:30** बजे केन्द्र की निविदा समिति द्वारा खोली जायेंगी।
12. सामान आपूर्ति के साथ बिल अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नौगावां (अलवर) के नाम प्रस्तुत करना होगा। निविदादाता द्वारा आपूर्ति किये गए उपकरणों/मशीनरी/सामानों का उपापन समिति द्वारा तकनिकी मापदण्डों के अनुसार सही पाए जाने पर ही बिल का भुगतान किया जायेगा। बिल का भुगतान कोष कार्यालय से बिल पास होने के उपरांत किया जायेगा।
13. निविदादाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा भरते समय निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों के **प्रत्येक पृष्ठ पर अपने लघु हस्ताक्षर करेगा** जिससे यह माना जाएगा कि उसने प्रत्येक शर्त पढ़/समझ ली है तथा उसे/उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। अहस्ताक्षरित निविदाएँ निरस्त की जा सकती है। भारत/राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए गए किसी भी कर/लेवी की वसूली सफल निविदादाता के बिल से कटौती संस्थान द्वारा की जाएगी।
14. निविदा की अन्य शर्ते राजस्थान लोक उपापन में पारदर्षिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्षिता नियम, 2013 के अनुसार लागू होंगी।
15. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी।
16. **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार** – निविदा समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात्:
    (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया

जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

17. **सत्यनिष्ठा संहिता – उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –**

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा।

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

18. **हित का विरोध –**

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :–

(क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृतिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृतिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।

(ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप ओर सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।

(ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या

Suman

पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।

(घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जंहा उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।

(3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदिः–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है।

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

19. **उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण** – प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विश्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होगे।

(क) अपीलः– (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्षिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देषों या मार्गदर्षन के उपबंधों के उल्लघंन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिष्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर निर्धारित प्रारूप में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दषा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पष्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्षक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तद्नुसार आदेष पारित करेगा जो उप–धारा (5) के अधीन पारित आदेष के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप–धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकरी उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप–धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेष से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेष की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकरी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप–धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पष्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्षक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेष पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकरों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप–धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा–सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर–भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्षित किया जाएगा।

(8) उप–धारा (1) और (4) के अधीन प्रात्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया–नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

(ख) अपील का प्रारूप –

(1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्षिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

(ग) अपील फाइल करने के लिए फीस –

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

(घ) अपील के निपटारे की प्रक्रिया –

(1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा।

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

20. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।

अधिष्ठाता

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तो का सावधानी पूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तो से प्रतिबन्धित रहूँगा/रहेंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर

कृषि महाविद्यालय, नौगावां
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

कृषि महाविद्यालय, नौगांवा पर पाइप आपूर्ति एवं पाइपों को जमीन में गाड़ने हेतु वित्तीय निविदा प्रपत्र

1. निविदादाता का नाम : .....
2. पता : .....
   .....
3. मोबाइल नंबर : .....
4. फर्म का जी.एस.टी. नंबर : .....
5. पैन नंबर : .....

क्र. सं.	आवश्यक सामग्री का नाम	आवश्यक संख्या / मात्रा	दर प्रति नग सभी करो सहित (₹)	कुल राशि सभी करो सहित (₹)
1.	पी.वी.सी. कोइल पाइपः 90 मि.मी. व्यास एवं 6 कि.ग्रा. प्रेशर	400 मीटर		
2.	पी.वी.सी. कोइल पाइपः 75 मि.मी. व्यास एवं 6 कि.ग्रा. प्रेशर	200 मीटर		
3.	पी.वी.सी. कोइल पाइपः 63 मि.मी. व्यास एवं 6 कि.ग्रा. प्रेशर	550 मीटर		
4.	कंट्रोल वॉल्वः 90 मि.मी.	01		
5.	कंट्रोल वॉल्वः 75 मि.मी.	01		
6.	कंट्रोल वॉल्वः 63 मि.मी.	04		
7.	फिटिंग एवं अन्य आवश्यक सामग्री	आवश्यकतानुसार		
8.	नाली खुदाई एवं भराई का कार्य (2.5 से 3 फीट गहरी)	1150 मीटर		

नोटः– (1) निविदादाता अपने फर्म के जी.एस.टी. प्रमाण पत्र एवं पैन कार्ड की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें।

(2) निविदादाता अपने फर्म के लेटर हेड पर भी दरें प्रस्तुत कर सकता है परन्तु संपूर्ण विवरण भरकर इस निविदा प्रपत्र को भी साथ में संलग्न करें।

मैंने निविदा की समस्त शर्तों का अध्ययन कर लिया है तथा मैं समस्त शर्तों के अनुसार उपरोक्त दरों पर आवश्यक सामान आपूर्ति करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करता हूँ।

दिनांकः

निविदादाता के हस्ताक्षर

Suman